

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत SPD मुकाम जल

पार्वती बनाम मांगी

किस्म मुकद्दमा विधिवत जो-पुत्र नं. 04 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.5.25	<p>पार्वती पत्र आउटेरा 09 नियम 09 स्वपहित धारा 151 जा. सी. ब्याड जांच पेरा हुआ । दर्ज रजिस्टर किया जावे । अनधिकृतता पार्वती ने जा. पुत्र में वर्णित बच्चों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पार्वती एउ अवैध महिला ही एवं उक्तान में जानकारी डेअनकार के कारण उपस्थित नही हो सकी जिससे उक्तान बनाने हाजरी व अनदन पैरवी में खालीज उरडिया गया उक्तान को सुनवाई डाउन्टिग अवसर उदान नही होने से पार्वती को अवैधनीय शक्ति होगी कारण: पार्वती के हिरो ने ध्यान में रखते हुए पार्वती के जा.पुत्र को पुनः नम्बर पर लिख जाकर सुनवाई डा अवसर उदान करने डा निवेदन किया । हमने पत्रावली डा अवलोकन अवश्यता कर । अनधिकृतता पार्वती के कथने पर मन्तू किया व एकरका बहान रुनी डा ठ ।</p>	


 (सिन्ड्रेट)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपसहय अधिकारी
 सिटीजल (अ.प.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुक्म

ख
म

आविष्कार प्रतीति के क्वान
 वचित व स्वयं उनीत
 होने से प्रतीति का प्रो.पु
 कांडेरा 09 निमग 09 सपति
 धारा 151 आ.डी. स्वीकार
 योग्य होने से स्वीकार किया
 जाकर प्रतीति की अपील
 03/2022 बनवान पावती
 बनान सांगी नि.दि. 24/04/25
 को पुनः नबबर पर लिए
 जाने के कांडेरा डिप जाते
 हैं। प्र.पु 09 R 09 सपति
 धारा 151 आ.डी. अपील
 के साथ चलान हो। प्रावण
 के फल व मुमाद होना नबबर
 से मुक्त हो।



(वि.के.एल.)
 जज कलक्टर एवं
 जज उच्च न्यायालय
 दिल्ली (उच्च.)

प्रति 15/11/2022 दि. 10
 प्रमाणित प्रमाणित दि. 10
 दि. 10/11/2022 दि. 10
 दि. 10/11/2022 दि. 10
 दि. 10/11/2022 दि. 10
 दि. 10/11/2022 दि. 10